

पंजाब नेशनल बैंक

बनाम

भारतीय बैंक और ए. एन. आर.

22 अप्रैल, 2003

[ब्रिजेश कुमार और बी. एन. श्रीकृष्णा, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश 6 नियम 17 सपठित

धारा 151:

भारतीय फर्म और विदेशी फर्म के बीच अनुबंध- भारतीय फर्म द्वारा बैंक गारंटी के बदले विदेशी फर्म से ऋण लिया गया ऋण-अनुबंध को अस्वीकार करने पर समनुदेशित बैंक द्वारा बैंक गारंटी को लागू करना- बैंक गारंटी को भुनाने से इनकार - समनुदेशित बैंक द्वारा वसूली के लिए मुकदमा दायर करना- विदेशी मुद्रा में अनुतोष पाने के लिए अभिवचनो में संशोधन करने के लिए आवेदन -ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा संशोधन की अनुमति दी गयी -उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया -अपील में अभिनिधारित किया गया: चूंकि विदेशी मुद्रा की मांग का स्पष्ट वर्णन वाद पत्र में किया गया है, विदेशी मुद्रा में वसूली का दावा है- विदेशी मुद्रा के संदर्भ में इस तरह की दावे और डिक्री के लिए कथनों की अस्पष्टता को अभिवचनों के संशोधन द्वारा ही हटाया जा सकता है -संशोधन का अर्थ ही पूर्णत स्पष्ट है समय सीमा अवरोधी दावो के लिए नहीं है -मुकदमे की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया गया है अनुतोष को रोका नहीं गया है- इसलिए आवेदन दुर्भावनापूर्ण प्रकृति का नहीं है और विचारण अनुमति दी गई है -कथनों में कुछ तथ्यों के लोप के प्रभाव पर विचार किया जा सकता

है-विदेशी मुद्रा में डिक्री के लिए मुकदमा इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि अभिवचनो में उचित तथ्यो का वर्णन नहीं किया गया है -निर्देश जारी किये गये-अभिवचन-अभिवचनों में संशोधन -ऋण वसूली न्यायाधिकरण प्रक्रिया नियम, 1987-नियम 7-देय ऋण की वसूली बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993.

शब्द और वाक्यांश:

'अभिवचन में संशोधन'-जिसका अर्थ विदेशी मुद्रा में वसूली के लिए वाद के संदर्भ में लिया जाएगा।

एक भारतीय फर्म ने एक विदेशी फर्म के साथ अनुबंध किया। भारतीय फर्म ने बैंक गारंटी के बदले विदेशी फर्म से अग्रिम राशि प्रत्यर्थी बैंक से लिया । बाद में विदेशी फर्म ने अपीलकर्ता बैंक के पक्ष में बैंक गारंटी के अधिकार सौंपने के बाद अपीलकर्ता बैंक से ऋण लिया। अनुबंध को अस्वीकार करने पर, अपीलकर्ता-बैंक ने बैंक की बकाया वसूली के लिए प्रत्यर्थी बैंक पर फर्म के खिलाफ गारंटी का आह्वान किया भुगतान से इनकार करने पर इसने प्रत्यर्थी बैंक व विदेशी फर्म के खिलाफ धन का मुकदमा दायर किया।

अपीलार्थी-बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में अनुतोष प्राप्त करने के लिए अभिवचनो में संशोधन के लिए एक आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अधीन व एक आवेदन विदेशी मुद्रा में अनुतोष पाने के लिए बैंक और वित्तीय संसाधन अधिनियम के तहत किया गया। ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा संशोधन की अनुमति दी गयी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस आदेश को उलट दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी की ओर से यह कथन किया गया अभिवचनों में संशोधन के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को निष्कर्ष तक पहुंचने से पूर्व वाद पत्र/अनुतोष खंड में अभिकथित किये गये कथनों पर ध्यान देना चाहिए और यह भी कथन किया कि विदेशी मुद्रा में डिक्री की मांग करते हुये यह कथन किए गए।

प्रत्यर्थी बैंक की ओर से यह कथन किया गया कि अपीलार्थी विदेशी मुद्रा में दावे के अनुतोष को रोक दिया गया है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विदेशी मुद्रा में डिक्री के लिए प्रार्थना के लिए मुकदमा

केवल चूक के आधार पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कि यह कथन न किया गया कि उक्त डिक्री एफ. ई. आर. ए. अधिकारियों की अनुमति के अधीन पारित की जा सकती है या जहां मुकदमे के मूल्यांकन के संबंध में न्यायालय शुल्क व क्षेत्राधिकार का कथन या अभिकथन नहीं किया गया। जहाँ तक किसी वचन के संबंध में अभिकथन है कि वादी न्यायालय शुल्क में कमी को ठीक करेगा, इस तरह के अभिकथन का अभाव संशोधन के लिए की गई प्रार्थना के लिए घातक नहीं होगा क्योंकि ऐसा निर्देश हमेशा न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है और कमी वाले न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में विफलता पर, डिक्री उस सीमा तक सीमित होगी जिस सीमा तक न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाता है। [ 845 - जी, एच; 846-ए, बी]

*पीरगोंडा होंगोंडा पाटिल बनाम कलगोंडा शिडगोंडा पाटिल और अन्य। ,एआइआर( 1957 ) एससी 363; गंजम जयकिशन जोशी बनाम*

प्रभालार मोहनलाल कलवार, [1990] 1 एस. सी. सी. 166 और संपत कुमार बनाम अय्यकन्नु और अन्न। , [ 2002 ] 7 एससीसी 559 , सहायतार्थ ।

फोरासोल बनाम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, (1984) एस. सी. 241, चस्पा नहीं एल. जे. लीच एंड कंपनी बनाम श्रीमति जार्डिन स्किनर एंड कंपनी लिमिटेड, एआइआर (1957) एससी संदर्भित किया गया।

1.2. कुछ अनुच्छेदों में और मुकदमे के शीर्षक में, अमेरिकी डॉलर के बराबर रुपये का अंकन पहले और डॉलर का संकेत बाद में भी दिया गया है जैसा कि प्रार्थना में, लेकिन समग्र रूप से वाद को पढ़ने से, इसका मतलब यह नहीं होगा कि वहाँ डॉलर के संदर्भ में डिक्री के लिए कोई दावा और प्रार्थना नहीं है। [849 -सी]

निचलभाई वक्कावगाऊ और ओआरएस बनाम जसवंतलाल जीनाभाई और अन्य। एआइआर (1966) एससी 997 और बेंगलोर शहर निगम बनाम एम. पापैया और अन्य। [1989] 3 एस. सी. सी. 612, सहायतार्थ

1.3. भले ही वादी के दावे या डिक्री के मामले में डॉलर या रूपयों के संबंध में अस्पष्टता हो लेकिन इस तरह के भ्रम और अस्पष्टता को दूर करने के लिए हमेशा अभिवचन में संशोधन किया जा सकता है। अभिवचन के संशोधन की मांग करके, कुछ भी नया या नया जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती है। कोई नई राहत जोड़ने की मांग नहीं की गई है, केवल डॉलर के बराबर रुपये की मांग को हटाने और डॉलर में डिक्री के लिए एक स्पष्ट प्रार्थना, परिणामस्वरूप डॉलर के बराबर रुपये के घटक को हटाकर बनी रहेगी। [849 -डी, जी]

लक्ष्मीदास दह्याभाई कबरवाला बनाम नानाभाई चुनिलाल कबरवाला और अन्य, [1964] 2 एस. सी. आर. 567 सहायतार्थ

1.4. संशोधन आवेदन को पेश करने में देरी भी महत्वपूर्ण नहीं होगी। क्योंकि कार्यवाही अभी भी विचारण के चरण में नहीं है। प्रतिवादी संशोधन की अनुमति देकर किसी भी तरह से आश्चर्यचकित नहीं होता है। इस तरह का अभिकथन पहले से ही एक से अधिक स्थानों पर और साथ ही राहत खंड में भी है। प्रतिवादी को किसी भी नए मामले का जवाब देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। एक संशोधन को आम तौर पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां एक मियाद बाहर दावा पेश करने की मांग की जाती है, वहां भी यह विचार के लिए कारकों में से एक होगा या जहां यह मुकदमे की प्रकृति को ही बदल देता है या यह दुर्भावनापूर्ण है या अन्य पक्ष को उसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता है यदि शिकायत मूल रूप से सही ढंग से दायर की गई थी। लेकिन मामले में ऐसा कोई तत्व मौजूद नहीं है जिससे वाद में संशोधन की अनुमति न दी जा सके। इस तरह के संशोधन से कोई अनुचित लाभ लेने की कोशिश नहीं की जाती है। संशोधन केवल उन भ्रम को दूर करता है, यदि कोई हो, कि किन शर्तों में राहत मांगी गई है। यह मियाद बाहर और मृत दावे को पुनर्जीवित नहीं करता है, न ही मुकदमे की प्रकृति को बदलता है। तथ्यों और परिस्थितियों में भी इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। [850- ए-डी.]

1.5. कुछ अभिकथनों की अनुपस्थिति का प्रभाव। अपीलार्थी ने इस तरह के कथनों या उनकी अनुपस्थिति के बारे में इसका स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इस स्तर पर निष्कर्ष दर्ज किया जाए यह मुकदमे में निर्णय का विषय होगा। [850- एफ, जी]

*फोरासोल बनाम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, ए. आई. आर.*  
(1984) एस. सी. 241 संदर्भित

1.6. राशि में अंतर बहुत बड़ा होने के कारण, अभिवचनों में संशोधन को अस्वीकार करने के लिए एक वैध आधार नहीं होगा जो अन्यथा, उन सभी शर्तों की कसौटी पर खरे उतरता है जिनके तहत सामान्य रूप से संशोधन की अनुमति दी जाती है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि वादी का इरादा था और उसने डॉलर के संदर्भ में एक डिक्री के लिए कहा था। प्रतिवादी इसके बारे में पूरी तरह से जानता था और मांगे गए संशोधन से डॉलर के बराबर को रुपये में परिवर्तित करके यदि कोई संदेह, हो तो, दूर हो जाएगा। डॉलर के संदर्भ में डिक्री को पारित करने की प्रार्थना की गई थी; राहत खंड के अभिकथनों के कुछ हिस्सों को जोड़कर और हटा कर दोहराया गया है कोई नया दावा नहीं किया गया है वही स्थिति है और इसलिए किसी भी दावे अनुतोष को रोकने या ऐसे किसी दावे के परिसीमा से वर्जित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। [851 -ए-सी]

*यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य।बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन और अन्य। [2002] 6 एससीसी 281, चस्पा नहीं।*

1.7. मुकदमे के गुण-दोष मुकदमे का विषय होंगे और मामले में अंतिम निर्णय पारित किया जाएगा। संशोधन के लिए आवेदन कुछ देरी के साथ पेश किया गया था। यदि वादी ने शिकायत दर्ज करने के समय अधिक सावधानी बरती होती और प्रार्थनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से किया होता, तो संशोधन आवेदन को पेश करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए खर्च पर संशोधन की अनुमति है। [851 -एफ, जी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 7072/2001

2000 -सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1831 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2001 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से सोली जे. सोराबजी, अटॉर्नी जनरल, मोहित चौधरी, ध्रुव मेहता, जगत अरोड़ा, आनंद मिश्रा, असीम सूद मेसर्स के. एल. मेहता एंड कंपनी।

प्रत्यर्थी के लिए के. के. वेणुगोपाल, बी. आर. नारंग और बलराज दीवान।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश बृजेश कुमार, दिया गया

तत्काल अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष लाया गया विवाद में वादपत्र के संशोधन की अनुमति देने से इनकार करने से संबंधित है

प्रत्यर्थी के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा धन डिक्री के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जिसे बाद में ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया है,

इंडियन बैंक को मुख्य प्रत्यर्थी और प्रत्यर्थी नं 2 मैसर्स इंडो-यूरोप फूड्स लिमिटेड को सहायक प्रत्यर्थी के रूप में इस अपील शामिल किया गया है। इस निर्णय में जहां भी प्रत्यर्थी का संदर्भ दिया गया है, वह प्रत्यर्थी नं. 1 इंडियन बैंक और जहां कहीं भी यू. एस. डी. शब्द का उपयोग किया गया है, वह अमेरिकी डॉलर के लिए है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि के रूप में, इसमें शामिल विवाद को बेहतर ढंग से समझने के लिए, यह दर्शित करता है कि ओसवाल एगो मिल्स लिमिटेड और यूनाइटेड किंगडम के इंडो यूरोप फूड्स लिमिटेड के बीच एक अनुबंध किया गया था। इंडो यूरोप द्वारा ओसवाल एगो को 60 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि अग्रिम रूप से दी गई थी, जिसे ओसवाल एगो द्वारा इंडो यूरोप को कृषि उत्पादों के निर्यात पर ओसवाल एगो के बिलों के खिलाफ समायोजित

किया जाना था। ओसवाल एगो ने इंडो यूरोप द्वारा की गई अग्रिम राशि को पूरा करने के लिए इंडो यूरोप के पक्ष में 60 लाख अमेरिकी डॉलर की भारतीय बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत की। 3 फरवरी, 1983 की बैंक गारंटी को इंडियन बैंक द्वारा इंडो यूरोप फूड्स लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जो गारंटी का लाभार्थी है। बैंक गारंटी के कुछ सुसंगत खंड निम्नानुसार हैं:

" गारंटी

(ए) यह ध्यान देने योग्य है कि लाभार्थी के अनुबंध में प्रवेश करे व अग्रिम भुगतान करे तो गारंटर बिना शर्त एवं बिना किसी परिवर्तन के अनुबंध के तहत या उसके अनुसार ओ. ए. एम. एल. को बतायी गयी राशि परिपक्वता त्वरण पर या अन्यथा अग्रिम भुगतान करेगा। यदि और जब तक ओ. ए. एम. एल. का ऐसी राशि के किसी हिस्से का देय होने उपर बताये अनुसार भुगतान करने पर विफल रहेगा तो गारंटर लाभार्थी द्वारा लिखित मांग पर लाभार्थी तो ऐसी राशि के बराबर की मुद्रा तुरंत ही या जैसे भी अनुबंध के अनुसार या ए. एम. एल. के लिए आवश्यक तरीके से राशि भुगतान करेगा।

(जी) इसके तहत गारंटर का अधिकतम आकस्मिक दायित्व यू. एस. डी. 6,000,000 से अधिक नहीं होगा। (संयुक्त राज्य डॉलर केवल 60 लाख) सामान्य

(सी) यूनाइटेड स्टेट्स के लेखे की मुद्रा है और इसके तहत ही गारंटर से किसी भी समय देय प्रत्येक राशि के लिए भुगतान होता है।

(डी) प्रत्येक तिथि को जिस पर गारंटर से राशि देय होती है। इसके तहत गारंटर लाभार्थी को हस्तांतरित धन तुरंत ही और मुफ्त में लाभार्थी के



खाता संख्या 36020 डॉलर में नेशनल बैंक मूर हाउस, 119 लंदन वॉल, लंदन बी0 24-एसएचजे, (यूके) से भुगतान कराएगा। तत्पश्चात इंडो यूरोप ने पंजाब नेशनल बैंक से 60 लाख यूएसडी का ऋण लिया।

बाद में, पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में उपरोक्त बैंक गारंटी के तहत अपने अधिकार सौंप रहा है। अपीलार्थी- पंजाब नेशनल बैंक को इंडियन बैंक द्वारा इंडो यूरोप के पक्ष में दी गई बैंक गारंटी के समनुदेशन की सूचना इंडियन बैंक को दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 1986 में ओसवाल एगो मिल्स और इंडो यूरोप के बीच अनुबंध समाप्त हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक गारंटी को असाइनी के रूप में लागू किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय बैंक को अप्राप्त अग्रिम राशि के शेष के रूप में 52,37 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। राशि का भुगतान नहीं किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक ने अंततः इंडियन बैंक और मेसर्स इंडो यूरोप फूड्स लिमिटेड ने उन्हें प्रतिवादी नं. 1 और क्रमशः 2 के विरुद्ध मुकदमा किया अनुच्छेद 50 के अनुसार निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की जो निम्नानुसार हैं:

"वादी प्रतिवादिगण के खिलाफ संयुक्तः और पृथकतः एक डिक्री के लिए प्रार्थना करता है;

(i) रु. 8,79,86,380.27 समतुल्य अमेरिकी डॉलर 5,237,284.54;

(ii) रु. 2,87,47,590.48 समतुल्य अमेरिकी डॉलर 17,11,166.10 और मुकदमे की तारीख तक का ब्याज;

(iii) लंदन इंटर बैंक की दर के अनुसार वाद संस्थित किये जाने से भुगतान किये जाने तक 2 प्रतिशत की दर से ब्याज

(iv) मुकदमें के खर्च;

(v) आगे के निर्देशों के लिए वादी को निर्णायक राशि का भुगतान अमेरिकी डॉलर किया गया;

(vi) कोई अन्य राहत जो यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार पर उचित समझे।

इस अवसर पर वाद के अनुच्छेद 42 व 46 में बने अभिवचनों पर अवलोकन करना उचित होगा जो निम्नानुसार है:-

"42. कि वादी यूएस डॉलर 5,237,284.54 में सहमत दर पर ब्याज के अनुसार यूएस डॉलर 17,11,166.10 प्राप्त करने का अधिकारी है ब्याज की गणना 10.8.1989 तक की गई है। 11.8.1989

46. जहां तक दिनांक 3.2.1983 गारंटी के समझौते का संदर्भ है प्रतिवादी इंडियन बैंक द्वारा, किसी भी समय देय राशि यूएस डॉलर की मुद्रा में होगी लेखा यूएस डॉलर की मुद्रा में होगा और देय होने पर गारंटर द्वारा दिया जाएगा के लिए खाता और भुगतान प्रतिवादी इंडियन बैंक बाध्य होगा कि वह लाभार्थी वादी को डॉलर में अंतरित राशि का उपलब्ध करवाये वादी द्वारा यूएस डॉलर में डिक्री की प्रार्थना की गयी फिर इस समकक्ष मुल्य या इसके विकल्प में माननीय न्यायालय द्वारा यूएस डॉलर में डिक्री ग्रान्ट नहीं की जाती है तो उसी के समकक्ष रूपयें में प्रदान की जाये।

वाद पत्र में शीर्षक में निम्नानुसार लिखा गया था:

"दावा बाबत वसूली रूपये 8,79,86,380.27 अमेरिकी डॉलर के बराबर 5236284.54 ब्याज रूपये 2,87,47,590.48 डॉलर के बराबर 17,11,166.10 और खर्चे सहित लागतें "

वादी-अपीलार्थी द्वारा आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी और धारा 22 बकाया की वसूली बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक आवेदन पेश किया गया वादी ने वाद के संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया संशोधनों के अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

"5. दावे में जो अनुतोष चाहा गया था गलती और निरीक्षण के कारण भारतीय रूपयों के यूएस डॉलर के समतुल्य और उसी प्रकार दावा किया गया ब्याज भी यूएस डॉलर के समान ही परिलक्षित किया गया था।

"6. कि आवेदक अमेरिकी डॉलर को भारतीय रूपयों में रूपान्तरित करने के भाग को हटाना चाहता है और इंडियन बैंक द्वारा जारी की गयी गारंटी को अनुबंध के अनुसार यूएस डॉलर रिलीफ पाना चाहता है।

"7. कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी 8,79,86,380.27 रुपये की वसूली योग्य राशि का संदर्भ है वहां मूल राशि के बराबर यूएस डॉलर, 52,37,284.54 से है और इसी प्रकार जहां इंडियन रूपये 2,87,47,590.48, का संदर्भ यूएसडी डॉलर ब्याज सहित 17,11,166.10 और इसी प्रकार इंडियन रूपये घटक को हटाये जाने व केवल यूएस डॉलर में अनुतोष दिया जाए"

दावे के शीर्षक में निम्नानुसार संशोधन की मांग की गयी:

"दावा बाबत वसूली मूलधन यूएसडी 5,237,284.54 व ब्याज यूएसडी 17,11,166.10 व खर्चा "

कुछ अन्य अनुच्छेद को भी जोड़ने की मांग की गयी और अनुतोष खंड में निम्नानुसार संशोधन की मांग की गयी। वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध संयुक्त व पृथक रूप से डिक्री के लिए प्रार्थना करता है।

(i) मूल राशि के बदले यूएस डॉलर 5237,284.54 मूल धन राशि दर अर्थात एल. आई. बी. ओ. आर. दर पर 2 प्रतिशत, जो 9.45% प्रति वर्ष है मुकदमा दायर करने की तारीख को तिमाही विश्राम;

(ii) संविदात्मक दर पर ब्याज 1711166.10 यूएस डॉलर यानि लाइबर दर से वा 2 प्रतिशत अधिक जो की मुकदमा दायर करने की तारीख के अनुसार त्रैमासिक रोक के साथ 9.45 प्रतिशत है

(iii) मुकदमें की तारीख से वसूली तक ब्याज लंदन इंटर बैंक द्वारा प्रस्तावित दर से अधिक होगा।

(iv) मुकदमें के खर्चे

(v) आगे के निर्देशों के लिए वादी को निर्णायक राशि का भुगतान अमेरिकी डॉलर किया गया।

(vi) कोई अन्य राहत जो यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार पर उचित समझे"

संशोधन के आवेदन का विरोध किया गया था। हालांकि, इसकी अनुमति दी गई थी ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा इसकी अनुमति दे दी गयी और ऋण वसूली अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी। प्रत्यर्थी इंडियन बैंक ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण मेसर्स के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका पेश की। और इंडो यूरोप फूड्स लिमिटेड को भी रिट याचिका में प्रतिवादी नं. 2 बनाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और आदेशों को रद्द कर दिया।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया और संशोधन के लिए आवेदन को खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा मुख्य आपति का आधार उठाया गया कि है कि वादी को मुकदमा दायर करते समय यह तय करना है कि दावा भारतीय मुद्रा में किया जाना है या विदेशी मुद्रा में। एक बार जब वादी इंडियन राशि का दावा करने का विकल्प चुनता है तब वादी को अपने विकल्प को बदलने और डॉलर के संदर्भ में डिक्री का दावा करने की अनुमति देने का कोई प्रयोजन नहीं था और अपने समर्थन में ए. आई. आर. (1984) एस. सी. 241, फोरसोल बनाम आइल एंड नेचूरल गैस कमीशन का मामला पेश किया। दूसरा तर्क यह था कि संशोधन मांग लंबे समय यानि नौ साल के बाद की गयी है इसलिए संशोधन के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त वित्तिय दायित्व समय बाधित होगी। उच्च न्यायालय ने फोरसोल सूप् के मामलें का उल्लेख करते हुए यह प्रकट किया कि जिस मामले में वादी विदेशी मुद्रा में अनुतोष के लिए विकल्प चुनता हैं वहां उसके लिए आवश्यक है कि वह इसका वर्णन अपने वाद पत्र में करे परन्तु वतर्मान प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है। इसमें कही प्रकट नहीं किया गया है कि विदेशी मुद्रा में डिक्री विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत संबंधित अधिकारियों की अनुमति के अधीन है। इसके अलावा यदि कोई अनुमति नहीं दी जाती है या विदेशी मुद्रा में राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो तिथि में प्रचलित विनिमय दर पर भुगतान किया जाएगा। और न्याय शुल्क में कमी को पुरा करने का शपथ पत्र भी देना होगा। प्रार्थना के खंड के संबंध में उच्च न्यायालय ने पाया कि जिस स्थान पर उक्त खंड डाला गया है वह यह

दर्शित करता है कि भुगतान के समय रूपयें में राशि को यूएसडी डॉलर में परिवर्तित किया जाए। उच्च न्यायालय ने वादपत्र के अनुच्छेद 49 का उल्लेख किया जो उस राशि को इंगित करता है जिससे न्याय शुल्क एवं क्षेत्राधिकार का प्रकट हो। यह देखा गया कि यदि संशोधन की अनुमति दी जाती है तो इससे दावे की राशि 22 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी, अर्थात् मूल दावे के 3 गुणा से अधिक जिससे इंडियन बैंक के साथ अन्याय हो सकता है अन्यथा दावा समय सीमा से बाधित हो जाएगा। 83 (2000) डीएलटी 277 श्रीमति जेनीत एनी वूलगर जेम्स और अन्य बनाम जेपी होटल लिमिटेड और एआइआर 1957 ढससी 363 पीरगोंडा होगोनडा पाटिल बनाम कालगोनडज़ शिडगोनडा पाटिल और अन्य ।

उपरोक्त तर्क पर रिट याचिका स्वीकार की गयी और संशोधन की प्रार्थना अस्वीकार की गयी। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के संशोधन को स्वीकार करने का आदेश अस्पष्ट था और मुख्य रूप से वादी द्वारा अपने दावे के अनुच्छेद 42 ,46 व प्रार्थना पांच अमैरिकन डॉलर में डिक्री का हकदार होने के कथनों से प्रभावित था।

हमारा मानना है कि मुख्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा फोरसेल सुप्रा के मामलें में विचार करना उचित होगा। वस्तुतः यह अभिवचनों में संशोधन से बिलकुल भी संबंधित नहीं है। फ्रांसीसी कंपनी पोरसोल और ओएमजीसी के बीच एक अनुबंध किया था जिसके अनुसार मुद्रा लेख और इसके एक हिस्से को छोड़कर भुगतान फ्रेंच फ्रैंक में किया जाना था। मुकदमा डिक्री हो गया किन्तु डिक्री में रूपान्तरण की दर का अंकन नहीं था। और यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त दर फैंसले की तारीख या उसके आसपास की तारीख या किसी भी तारीख जब वह राशि देय हो या मुकदमा दायर

करने की तारीख पर प्रचलित हो सकती है। यह भी पाया गया कि फेरा के तहत अनुमति के अभाव में या फ्रैंक में भुगतान करने की किसी अन्य असंभवता के कारण, धन का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जा सकता है अन्यथा यह डिक्री को ही विफल कर देगा। उपरोक्त विवाद के संबंध में यह देखा गया है कि न्यायालय का ऐसे विवादों के लिए प्रावधान करने चाहिए। यह भी देखा गया है कि न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के प्रयोजन में, वादी को अपने वाद में मुकदमा शुरू होने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर उसके द्वारा दावा की गयी विदेशी मुद्रा के बराबर मुल्य वाद में रूपयों का अंकन करना होगा। यह देखा गया है कि उस प्रक्रिया को निर्धारित करना सुविधाजनक होगा जिसका पालना विदेशी मुद्रा में राहत का दावा करने वाले मुकदमों में की जानी चाहिए। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 के तहत संबंधित प्राधिकारी के अधीन ऐसी डिक्री के लिए प्रार्थना करना उचित होगा। वादी को वाद पत्र यह वचन भी देना होगा की वह विनिमय दर में अंतर के कारण हुयी न्याय शुल्क में कमी को पुरा करेगा। वादी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह विदेशी मुद्रा के संबंध में फैसला कराना चाहता है। मुकदमा दायर करते समय विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए। हालांकि यह समझने में असमर्थ है कि वादी द्वारा जिस संशोधन के लिए प्रार्थना की गयी है, उक्त संशोधन को फोरासोल सुप्रा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया व प्रस्ताव से किसी प्रकार रोका गया है। विदेशी मुद्रा में डिक्री के लिए प्रार्थना का मुकदमा केवल इस कारण खारिज नहीं किया जा सकता कि वाद में यह कथित नहीं किया गया कि डिक्री को फेरा अधिकारियों की अनुमति के अधीन या जहां न्यायालय के दावे के मुल्यांकन और क्षेत्राधिकार का संबंध हो जैसा कि वर्तमान केस में अंकन न हो। केवल इस कथन का अभाव कि वादी न्यायशुल्क में कमी को पुरा कर देगा

संशोधन के लिए की निष्प्रभावी नहीं होगी क्योंकि न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जा सकता है कि भुगतान देने में विफल रहने के लिए डिक्री उसी सीमा तक प्रभावी होगी जिस सीमा तक न्याय शुल्क दिया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान ऋण वसूली न्यायाधिकरण की और आकर्षित करवाया है। अधिकतम न्यायशुल्क 1.5 लाख है और यह भी कथन किया गया है कि उक्त मामले में भुगतान की न्याय शुल्क बहुत अधिक है और मामला अब ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।

अब हम पीरगोंडा सुप्रा के मामले में इस निर्णय का अवलोकन कर सकते हैं। संशोधन के कानून के बारे में सिद्धांत निर्णय के अंतिम अनुच्छेद में रखा गया है लेकिन हम निम्नलिखित प्रासंगिक अनुच्छेद को उद्धृत कर सकते हैं जो इस प्रकार है:

“हमें लगता है कि बेचलर जें. के द्वारा अपने मामले में सही सिद्धांत प्रतिपादित किये गये थे, किशन दास रूपचंद का मामले में 19900 आइएलआर 33 बोम. 644 पीपी 649-650, “सभी संशोधन को अनुमति दी जानी चाहिए जो दो शर्तें पूरी करते हैं- (ए) दूसरे पक्षकार के साथ अन्याय नहीं होने और (बी) पक्षकारों के विवाद के वास्तविक प्रश्न के अवधारण के लिए आवश्यक हो ..... क्योंकि मेरी राय में वे सभी बिल्कुल एक ही सिद्धांत देते हैं वो सिद्धांत यह है कि संशोधन तब ही अस्वीकार करना चाहिए जबकि दूसरे पक्षकार को उस स्थिति में नहीं रखा जा सकता जैसे की वह अभिवचनों में मूल रूप में था। लेकिन संशोधन से उसे ऐसी हानि होगी जिसकी पूर्ति नकद में नहीं की जा सकती। यह केवल एक सामान्य नियम का विशेष मामला है जहां एक वादी वाद हेतुक संबंध में नया दावा संस्थित कर संशोधन करना चाहते हैं क्योंकि मुकदमा समय बाधित हो गया ऐसे



संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और इस प्रकार के संशोधन की अनुमति देने का मतलब है कि प्रतिवादी को उसके बचाव से अलग कर ऐसी क्षति कारित करना जिसकी पूर्ति नकद में नहीं की जा सकती। इसलिए अंतिम कसौटी अभी भी वही है कि क्या दूसरे पक्ष के साथ अन्याय किए बिना संशोधन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं? बेचलर जे. यह टिप्पणी उस मामले में की थी जहां दावा साझेदारी के विघटन के लिए था और वादी ने आरोप लगाया कि साझेदारी समझौते के अनुसरण में ही प्रतिवादीगण को चार हजार एक रुपये का कपडा दिया। अधीनस्थ न्यायाधीश ने पाया कि वादी ने कपडा वितरित किया लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे की कोई साझेदारी नहीं बनायी गयी थी। अपीलीय स्तर पर वादी ने साझेदारी की दलील को त्याग दिया और 4001 रुपये की वसूली के लिए प्रार्थना जोड़कर संशोधन की अनुमति देने की प्रार्थना की। और उस तारीख को धन के दावे को परिसीमा द्वारा रोक दिया गया था। यह माना गया कि संशोधन को उचित रूप से अनुमति की गयी क्योंकि दावा कोई नया दावा नहीं था।

हमारा मानना है कि वही सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होना चाहिए संशोधन वास्तव में कोई नया दावा प्रस्तुत नहीं करता है अपील कर्ता द्वारा दायर किया गया आवेदन अपने आप में यह दर्शित करता है उसके सामने कोई नया तथ्य नहीं आया है न ही उसे परिसीमा के समापन के पश्चात प्रथम बार किसी नये दावे का सामना करना।

एक अन्य निर्णय जिसे अपीलकर्ता द्वारा अपने समर्थन में पेश किया गया है 1990 एससीसी 166, गजानन जय किशन जोशी बनाम प्रभालार मोहनलाल कलवार, जो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का था। अनुतोष

अधिनियम की धारा 16(सी) के अनुसार इस आशय का कोई कथन नहीं था कि वादी अनुबंध के तहत अपने दायित्व को पुरा करने के लिए तैयार और रजामंद था। और इस विवाद्यक प्रश्न को प्रारंभिक विवादों के रूप में रखा गया। और उसी स्तर पर धारा 16(सी) की बाध्यताओं की पूर्ति हेतु अभिवचनों में संशोधन का आवेदन पेश किया गया। अन्य बातों के अलावा परिसीमा के आधार पर संशोधन का विरोध किया गया। आपतियों को खारिज कर दिया गया और संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति दी गयी और उस न्यायालय ने पाया कि उपर बताये संशोधन द्वारा वादी द्वारा कार्यवाही का कोई नया वाद हेतुक उत्पन्न नहीं किया गया है दावे के वाद हेतुक के लिए जो किया जाना चाहिए था वही किया गया है पीरागोंडा सुप्रा के निर्णय का उल्लेख करते हुये यह देखा गया कि वे सभी संशोधन को अनुमति दी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार के साथ अन्याय नहीं होता और दावे के वास्तविक प्रश्न का निर्धारण हो। एक अन्य विचार होगा अर्थात् जहां दूसरे पक्ष को उस स्थिति में नहीं रखा जा सकता, यह दलील मूल रूप से ली गयी थी तो इस प्रकार के संशोधन से ऐसी हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकद में नहीं की जा सकती। यह भी देखा गया है कि जहां संशोधन द्वारा एक ऐसा दावा स्थापित करने की मांग की जाती है जो परिसीमा से वर्जित है तो ऐसे संशोधन के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है।

न्यायालय ने उक्त निर्णय का हवाला दिया। *एल. जे. लीच और को. बनाम श्रीमति जारडीन स्कीनर और को. लिमिटेड एआइआर 1957 एससी 357* उक्त मामले में एक अंश इस प्रकार है:

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतें एक नियम के रूप में संशोधन की अनुमति देने से इनकार कर देगी, यदि संशोधित दावा का न्याय मुकदमा आवेदन की तिथी से सीमा बाधित हो। किंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्या संशोधन का आदेश दिया जाना चाहिए और यह आदेश देने की न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करता है यदि यह न्याय के हित में आवश्यक है।

एक अन्य निर्णय 2002 7 एससीसी 559, सम्पत कुमार बनाम आययकानू और अन्य संशोधन के आवेदन करने में देरी बहुत प्रासंगिक नहीं हो सकती है लेकिन कार्यवाही के चरण को ध्यान में रखना अधिक प्रासंगिक है विचारण के पूर्व चरण में संशोधन को आमतौर पर अनुमति दी जा सकती है। यह भी देखा गया है कि जहां मुकदमें की मूल संरचना अपरिवर्तित रहती है वाद के लंबित रहते उत्पन्न हुये वाद हेतुक के लिए अनुतोष की प्रकृति के अनुरूप अनुमति दी जानी चाहिए

अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि वादपत्र में संशोधन आदि जैसे प्रश्नों पर विचार करते समय वादपत्र को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और राहत खंड सहित विभिन्न अनुच्छेदों और खंडों में किए गए सभी कथनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए न की केवल अनुतोष खंड सहित विभिन्न अनुच्छेद व खंडों में किये गये कथनों तक सीमित रहना चाहिए इस संबंध में ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 997, निचलभाई वल्लभभाई और अन्य बनाम जसवंतलाल जीनाभाई और अन्य। व एक अन्य निर्णय [1989] 3 एस. सी. सी. 612, बेंगलोर शहर निगम बनाम. एम. पापैया और अन्य। संपत्ति पर स्वामित्व के दावे के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुरोध किया गया था, लेकिन संपत्ति में स्वामित्व की कोई

घोषणा नहीं की गई थी और न ही कब्जे की प्रार्थना की गयी। ऐसी परिस्थितियों में मांगे गए संशोधन को यह देखते हुए अनुमति दी गई थी कि वादपत्र को समग्र रूप से पढा जाना चाहिए और संशोधन के प्रश्न पर उस संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए न कि केवल अनुतोष खंड के आधार पर। इस संदर्भ में अपीलार्थीने कथन किया कि सामान्य रूप यही उचित है कि से वाद में किए गए कथनों को समग्र रूप से पढा जाना चाहिए। यह भी कथन किया गया है कि जिस पृष्ठभूमि में विवाद उत्पन्न हुआ, विशेष रूप से डॉलर में दावे से संबंधित भी इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होगा। इस संबंध में, जैसे कि पहले बताया गया है, यूएस मुद्रा पद का अर्थ यह लिया जाएगा कि हर एक और सभी बकाया यूएस डॉलर में गारंटर के द्वारा दिया जाएगा। उक्त बैंक गारंटी इंडो यूरोप द्वारा वादी अपीलार्थी के पक्ष में दी गई थी। वादी द्वारा दिनांकित 14.8.1996 पत्र द्वारा दी गई मांग की सूचना में प्रतिवादी संख्या 1 से 5,237284.54 अमेरिकी डॉलर, की बकाया राशि का भुगतान करने का भी आह्वान किया गया। पुनः इस मांग को दोहराया गया फिर लगातार मांग दोहरायी गयी।

पहले उद्धृत वादपत्र का अनुच्छेद 42 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वादी 5,237284.54 अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने, वसूल करने और डिक्री पाने का हकदार है। पुनः अपीलार्थी वादपत्र के अनुच्छेद 46 का उल्लेख करता है जिसे पहले भी उल्लेखित किया गया है, और यू. एस. डी. डॉलर में डिक्री के लिए प्रार्थना की गयी है और वैकल्पिक रूप से, यदि डॉलर में डिक्री नहीं की जाती है तो रुपये के समतुल्य मूल्य में डिक्री देने की प्रार्थना की गयी। प्रार्थना (v) में यह भी निर्देशित किया गया की डिक्री की राशि का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाए। ऊपर दर्शाई गई पृष्ठभूमि और खंड

(v) में प्रार्थना सहित वाद में किए गए स्पष्ट अभिवचनों में, यह कथन किया गया है कि प्रभावी रूप से और सभी उद्देश्यों के लिए, डॉलर में डिक्री के लिए प्रार्थना की गई है, जो तथ्य प्रतिवादी के ज्ञान में है। यह सच है, जैसा कि हम महसूस करते हैं, कुछ अनुच्छेद में और मुकदमे के शीर्षक के कैप्शन में, अमेरिकी डॉलर के बराबर पहले रुपये को और बाद में डॉलर के साथ-साथ प्रार्थना संख्या (i) और (ii) में इंगित किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि डॉलर के संदर्भ में डिक्री के लिए कोई दावा और प्रार्थना नहीं है। हम समग्र रूप से वादपत्र को पढ़कर ऐसा पाते हैं।

हालाँकि, यह कहा जा सकता है कि वादी के मामले में डॉलर या रुपये के संदर्भ में दावे और डिक्री के संबंध में कुछ अस्पष्टता है लेकिन इस तरह के भ्रम और अस्पष्टता को दूर करने के लिए हमेशा अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है । [1964] 2 एस. सी. आर. 567 में, लक्ष्मीदास दहियाभाई कबरवाला बनाम नानाभाई चुनिलाल कबरवाला और अन्य में अभिनिर्धारित किया गया है कि संशोधन से इनकार कर दिया जा सकता है यदि इसका प्रभाव यह होगा कि वह किसी पक्ष से उसका समय बीत जाने के कारण उसके विधिक अधिकार को समाप्त कर देगा। ऐसा तब हो सकता है जब नए आरोप संशोधन के माध्यम से जोड़े जाते हैं या नए राहत की मांग की जाती है। लेकिन जहां संशोधन केवल एक मौजूदा अभिवचन को स्पष्ट करता है और सार में इसे जोड़ता या बदलता नहीं है, तो इसकी अनुमति नहीं देने का कोई उचित कारण नहीं है और न ही परिसीमा का प्रतिबंध भी रास्ते में आता है। तथ्यों का कोई नया आरोप पेश नहीं किया गया है/या जोड़ा गया है और न ही कार्रवाई का कोई नया कारण या नई राहत जोड़ने की मांग की गई है। मूल अभिवचन में पहले से निहित किसी

मामले को हमेशा स्पष्ट किया जा सकता है और इस तरह के संशोधन की सामान्य रूप से अनुमति दी जानी चाहिए और ऐसे मामले में सीमा के प्रतिबंध का सवाल आकर्षित नहीं किया जाएगा। हस्तगत मामला वह नहीं है जिसमें कुछ नया या नया जोड़ने की कोशिश की जाती है। डॉलर के संदर्भ में दावे के विभिन्न अनुच्छेद के साथ-साथ प्रार्थना खंड के खंड (v) में किया गया है, कोई नई राहत जोड़ने की मांग नहीं की गई है, केवल डॉलर के बराबर रुपये को हटाने की मांग की गई है और डॉलर में डिक्री के लिए एक स्पष्ट प्रार्थना की गयी है परिणामस्वरूप, डॉलर के बराबर रुपये के घटक को हटाने से बनी रहेगी। हमारे विचार में, किसी भी नए मामले को पेश करने, कार्रवाई का एक नया कारण या नई राहत की मांग करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है जो परिसीमा द्वारा बाधित हो सकता है। यह प्रकृति में अधिक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन है।

हम यह भी देखना चाहेंगे कि आवेदन को पेश करने में देरी तब तक तात्त्विक नहीं है जब तक कि कार्यवाही के विचारण का स्तर न हो। प्रतिवादी संशोधन की अनुमति देकर किसी भी तरह से आश्चर्यचकित नहीं होता है। इस तरह का वाद पत्र में एक से अधिक स्थानों पर और अनुतोष खंड में पहले से ही मौजूद है। प्रतिवादी को न ही किसी भी नये मामले को जवाब देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा न ही उसे आश्चर्यचकित किया जाएगा ।

पहले उल्लिखित निर्णयों से जो स्थिति निकलती है, वह यह है कि एक संशोधन को आम तौर पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां परिसीमा बाधित दावा पेश करने की मांग की गयी हो या व दावे की प्रकृति को ही बदलता हो या दुर्भावनापूर्ण हो या दूसरे पक्ष को उसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता जिसमें वह वादपत्र के मूल रूप में दायर थी,

दूसरा पक्ष वैध बचाव के अधिकार से वंचित हो जाएगा हम पाते हैं कि मामले में ऐसा कोई तत्व मौजूद नहीं है जिससे वाद में संशोधन को अस्वीकार किया जा सके। कोई अनुचित लाभ नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि वाद और राहत खंड में डॉलर के संदर्भ में दावे का उल्लेख किया गया है। और प्रतिवादियों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। संशोधन केवल उन भ्रम को दूर करता है, यदि कोई हो, कि किन शर्तों में राहत मांगी गई है। यह समयबद्ध और मृत दावे को पुनर्जीवित नहीं करता है, न ही मुकदमे की प्रकृति को बदलता है। तथ्यों और परिस्थितियों में भी इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आधारों पर इस संशोधन को अस्वीकार किया गया कि वाद में, वांछित वचनपत्र नहीं दिया गया था, कि न्याय शुल्क में कमी के मामले में वादी द्वारा इसे ठीक किया जाएगा या विदेशी मुद्रा में डिक्री को फेरा अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों की अनुमति के अधीन की जाएगी या फोरासोल सुप्रा के मामले में प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित आवश्यकता के अधीन पारित की जाएगी। ऐसे कथनों के लोप के प्रभाव के संबंध में विचार संशोधन के लिए आवेदन के स्तर पर करने के बजाय विचारण और मुकदमे के निर्णय के समय विचार किया जा सकता है। अपीलार्थी ने ऐसे अभिकथनों या लोप के बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है उसी की योग्यता और इस स्तर पर एक निष्कर्ष दर्ज करें। यह मुकदमे में निर्णय का विषय होगा।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया कि उस समय मुकदमा दायर करने पर अपीलार्थी ने डॉलर को परिवर्तित करके अपनी राहत रोक दी थी

रुपये में निवेश करना और रुपये के संदर्भ में दावा करना मान्य नहीं है। राहत को रोकने का कोई अवसर नहीं है और न ही वह तथ्य जो उच्च न्यायालय ने हमारे सामने आग्रह किया है। यदि मुकदमा डॉलर में डिक्री किया जाता है तो राशि में बहुत बड़ा अंतर होगा। राशि में अंतर बहुत बड़ा होने के कारण, शिकायत के संशोधन को अस्वीकार करने के लिए एक वैध आधार नहीं होगा जो अन्यथा, उन सभी शर्तों की कसौटी पर खरे उतरता है जिनके तहत सामान्य रूप से संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। विभिन्न अनुच्छेदों के साथ-साथ राहत के खंड (v) के तहत वाद में किए गए कथनों की समग्रता पर विचार करे तो इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि, वादी ने डॉलर के संदर्भ में एक डिक्री का इरादा किया था और मांगी थी। प्रतिवादी इसके बारे में पूरी तरह से जानता था और के कुछ अनुच्छेद में डॉलर के बराबर रुपये में परिवर्तित करके संदेह, यदि कोई हो, और प्रार्थना खंड के खंड (i) और (ii) को मांगे गए संशोधन द्वारा दूर किया जाएगा। डॉलर के संदर्भ में डिक्री को पारित करने का अनुरोध किया गया था; उसी स्थिति को अनुतोष खंड के कुछ को जोड़कर और हटाकर दोहराया जाता है। कोई नया दावा नहीं किया गया है, इसलिए किसी भी दावे या ऐसे किसी दावे को रोकने का कोई सवाल ही नहीं है।

*[2002] 6 एस. सी. सी. पृष्ठ 281, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन और बनाम अन्य। रिपोर्ट किए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है। प्रतिवादी के लिए कोई सहायक नहीं है, विशेष रूप से संदर्भित निर्णय का पैराग्राफ 40 केवल यह इंगित करता है कि उस मामले में प्रार्थना रुपये के संदर्भ में एक डिक्री पारित करने के लिए थी। डॉलर के संदर्भ में अनुतोष के लिए कोई दावा नहीं था, जिस*



दर पर डॉलर को परिवर्तित किया गया था, वह राशि को तय की गयी थी और यह दावेदारों को प्राप्त भी हुयी थी डॉलर के संदर्भ में अनुतोष की मांग करने वाले संशोधन के लिए कोई प्रार्थना नहीं थी। उन परिस्थितियों में अपीलीय स्तर पर यह पाया गया कि अनुरोध के अनुसार प्रत्यर्थी की ओर से विनिमय दर लागू करने का कोई अवसर नहीं था, हस्तगत प्रकरण में वादी ने बहुत सावधानी से अपने वाद पत्र में संशोधन किया है जिसके लिए मूल रूप से भी प्रार्थना की गई थी।

हालाँकि, हम महसूस करते हैं कि जहाँ तक मामले के गुण-दोष का संबंध है, यह मुकदमे का विषय होगा और मामले में अंतिम निर्णय पारित किया जाएगा। संशोधन के लिए आवेदन कुछ देरी के साथ पेश किया गया था। यदि वादी वाद दायर करने के समय अधिक सजग होता, और प्रार्थनाओं को अधिक स्पष्ट किया होता, तो संशोधन आवेदन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम महसूस करते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जहां लागत लगाने के साथ संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।

परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को उलट दिया गया ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा पारित वाद के संशोधन की अनुमति देने वाले आदेश, जैसा कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया है, को संशोधन के साथ बहाल किया जाता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. 1 को 25000 रुपये आज से दो महीने की अवधि के भीतर भुगतान करे।

अपील की अनुमति दी गई



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जया सैनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।